सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2023-2024

सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है ।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
राजस्थान, जयपुर

E-mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN • Tel. : 2227033/2227725

Beelka, Rajasthan, India

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Society for Social Audit
Accountability & Transparency
(SSAAT), Rajasthan

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2023–2024

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी,राजस्थान जयपुर

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033/2227725)
Website:-https://socialaudit.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का गठन	1
3	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के उद्देश्य	1
4	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का क्षेत्राधिकार	2
5	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का संगठनात्मक ढांचा	2
6	सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन	2
7	सोसायटी में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदो की स्थिति	3
8	सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधन	3
9	सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं	5
10	लोकपाल एवं अपीलेट अथोरिटी की नियुक्ति	14
11	सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण का 03 वर्ष का तुलनात्मक विवरण	16
12	लेखे एवं अंकेक्षण	17
13	अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु	20
14	परिशिष्ट–1 मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 27 जून 2019	22
	परिशिष्ट –2 सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र	22

1. प्रस्तावना :

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार–विमर्श, जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमो की लेखा परीक्षा नियम 2011 में सामाजिक अंकेक्षण के लिये अंकेक्षण मानक स्थापित किये गये है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यो का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–2020 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.1 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।

2. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन :–

भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-VII/P दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्री मण्डलीय आज्ञा दिनांक 27.06.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को किया गया जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 19.09.2019 को किया गया।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य :–

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका मूल उद्देश्य जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंग हैः–

- पारदर्शिता – प्रशासनिक निर्णयों में पूर्ण पारदर्शिता
- भागीदारी – कार्य व निर्णयों में जन सहभागिता
- विचार– विमर्श एवं निर्णयों को सामूहिक रुप से सुनिश्चित करना
- जवाबदेही – निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करना
- परिवेदना/शिकायत निवारण – सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जनता से प्राप्त परिवेदनाओं एवं शिकायतों का निराकरण

4. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का क्षेत्राधिकारः–

i. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का संचालन क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।

ii. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा भारत/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) पंद्रहवां वित्त आयोग (एफएफसी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एवं स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) योजनाओं आदि योजनाओं के तहत किये जाने वाले कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है।

iii. किसी भी अन्य योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) को दिया जा सकता है। जिन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, इस बाबत समय समय पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का संगठनात्मक ढांचाः–

सोसायटी के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (GB) के निर्देशन में होगा। शासी निकाय में अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा सदस्य शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 13 सदस्य होगें। शासी निकाय के निर्देशो की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्य समिति (EC) होगी। कार्यकारी समिति (EC) में अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उपाध्यक्ष शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग तथा सदस्य सचिव निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) सहित कुल 18 सदस्य होगें।

6. सोसायटी (SSAAT) में शक्तियों का प्रत्यायोजन :–

सोसायटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय सं.3.5 की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन का अनुमोदन शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णय संख्या 2.5 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम (RTPP Act 2012 & Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) के नियमों के अंतर्गत निदेशक, (SSAAT) को विभागाध्यक्ष एवं उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–1) के आदेश क्रमांक एफ1(8)ग्रावि/ ग्रुप–1/2013 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश जारी किये गये है, जिसके Appendix (परिशिष्ट–B) के संलग्नक (Annexure)–1 ख में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में कार्य सम्पादन हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

7. सोसायटी में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति :–

क्रसं	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत		रिक्त पद	विशेष विवरण
			नियमित	संविदा		
01	निदेशक	1	1	–	–	–
02	उप निदेशक	1	–	–	1	–
03	लेखाधिकारी	2	1	–	1	–
04	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	4	–	2	2	–
05	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	8	2	6	–	–
06	कनिष्ठ लेखाकार	4	–	–	4	–
07	प्रोग्रामर	1	1	–	–	–
08	सहायक प्रोग्रामर	2	–	–	2	–
09	सूचना सहायक	5	–	–	5	–
10	निजी सचिव	1	–	–	1	–
11	निजी सहायक/ स्टेनो	1	–	–	1	–
12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	–	–	1	–
13	लिपिक ग्रेड–II	2	2	–	–	–
14	सहायक कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)	4	–	4	–	–
15	मैन–विद–मशीन (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)	4	–	4	–	–
कुल योग		**41**	**07**	**16**	**18**	**–**

सोसायटी के विधान अनुसार सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाऐ प्रतिनियुक्ति/संविदा आधारित सेवाओं के द्वारा ली जा सकती है। निदेशक के पद पर राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाईम स्केल के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा।

8. सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधनः–

(i) सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत पदः–

सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के संविदा के आधार पर स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत
1	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	1	1
2	राज्य संसाधन व्यक्ति	6	6
3	जिला संसाधन व्यक्ति	99	59
4	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	1886	1220
5	ग्राम संसाधन व्यक्ति	35200	12800

(ii) संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रकियाः–

सोसायटी में उपरोक्त वर्णित स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर चयन एवं नियुक्ति हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 (यथा संशोधित) बनाये गये है जो शासी निकाय से अनुमोदित हैं के अनुसार ही संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही की गई है।

- सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति तथा जिला संसाधन व्यक्तियो के चयन की कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) स्तर पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर किया गया है।
- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियो के चयन की कार्यवाही जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर के स्तर पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर किया जा रहा है।

(iii) देय मानदेय–

संसाधन व्यक्तियों को देय मानदेय की दरें :–

भारत सरकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमोदन अनुसार मानदेय की दरें निम्नानुसार है :–

क्र. स.	संसाधन व्यक्तियों की श्रेणी/वर्ग	मानदेय राशि
1.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	40,000 रू. प्रति माह
2.	राज्य संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
3.	जिला संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
4.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	500 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस
5.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	300 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस

(iv) संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र वर्ष 2022–23 के अध्याय संख्या 10 के बिन्दु संख्या 10.1.5 के अनुसार राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRPs) के लिए सामाजिक जवाबदेहिता और सामाजिक अंकेक्षण से सम्बन्धित 30 दिवस का सर्टिफिकेट कोर्स आवश्यक है।

अतः सभी चयनित राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के निर्देशानुसार 30 दिवस का प्रशिक्षण दिया जावेगा। ग्राम संसाधन व्यक्तियों को विनियम 2020 के तहत चयन पश्चात सोसायटी स्तर पर/ जिला/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण करवाया जाता है।

❖ राज्य एवं जिला संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

6 राज्य संसाधन व्यक्तियों तथा 59 जिला संसाधन व्यक्तियों को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के सौजन्य से माह अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 मध्य दिया गया हैं।

❖ ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

- सोसायटी द्वारा अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक हुए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के 32 जिलो के 812 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।
- सोसायटी द्वारा 27 नवचयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के सौजन्य से दिनांक 02.02.2024 से 02.03.2024 तक सहकारी प्रबन्ध संस्थान (ICM) जयपुर में दिया गया हैं।

❖ ग्राम संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम संसाधन व्यक्तियों (राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साथिनों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यो, स्वच्छताग्राहियों एवं लाभार्थी परिवार के सदस्यों) (SHG-VRPs) का वर्ष 2022–23 में 14.02.2023 से 18.02.2023 एवं 20.02.2023 से 24.02.2023 तक राज्य के 15 जिलों की 173 पंचायतो समितियों में 11052 ग्राम संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर करवाया गया हैं।

(v) ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था :–

माह जनवरी, 2021 से सामाजिक अंकेक्षण दलों को मानदेय का भुगतान संबंधित विकास अधिकारी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में वर्ष 2022–23 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही के सामाजिक अंकेक्षण दल में कार्य करने वाले ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान सोसायटी स्तर से सीधे ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के बैंक खाते में हस्तानान्तरण कर किया जा रहा है।

9. सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं :

भारत सरकार/राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाने बाबत विधिक प्रावधान/प्रशासनिक निर्देश है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड–डे–मील योजना, 15वें वित्त आयोग तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रगतिः–

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति से बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्वेश्य से सोसायटी द्वारा वर्ष 2023–24 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड–डे–मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। जिनका माह मार्च 2024 तक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	योजना का नाम	उपलब्धियों का विवरण
1	महात्मा गांधी नरेगा योजना	11222 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	6521 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
3	मिड–डे–मील योजना	33 जिलो के 589 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
4	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	33 जिलो की 3864 ग्राम पंचायतो में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया
5	प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण माह मार्च 2024 से 17 जिलो में प्रारम्भ किया गया है जिसमें 26 प्रोजेक्ट के 2391 आवासों का माह मार्च 2024 में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
6	15 वां वित्त आयोग	15 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार 3733 ग्राम पंचायतो में हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

(i) महात्मा गांधी नरेगा योजनाः–

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में हुए निर्माण कार्यो एवं लाभार्थियों के हित में किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 11222 ग्राम पंचायतो में सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न किया गया जिसका माहवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	माह का नाम	अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	विशेष विवरण
1	अप्रेल 2023	–	–	राज्य की 29 ग्राम पंचायतो को नगर पालिका में रूपान्तरण किये जाने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नही किया गया है।
2	मई 2023	869	869	
3	जून 2023	988	987	
4	जुलाई 2023	1002	1002	
5	अगस्त 2023	951	951	
6	सितम्बर 2023	911	908	
7	अक्टूबर 2023	–	–	
8	नवम्बर 2023	–	–	
9	दिसम्बर 2023	1256	1253	
10	जनवरी 2024	2154	2139	
11	फरवरी 2024	2024	2021	
12	मार्च 2024	1096	1092	
	कुल योग	11251	11222	

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्थान के 33 जिलों की 11222 ग्राम पचांयतों में नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो अनियमितताएं पायी गई उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय अनियमितता Financial Misappropriation		वित्तीय विचलन Financial Deviation		प्रक्रिया उल्लंघन Process Violation		परिवेदनाएं Grievences		कुल अनियमितताएं	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
334	98159652	181	11544006	655	43853552	221	76069	1391	153633279

सामाजिक अंकेक्षण की अनियमितताओं का जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण

Sr. No.	District Name	Financial Misappropriation		Financial Deviation		Process Violation		Grievances		Total No. of Issues Reported	Total Amt. (Rs.)
		No. of Issues Reported	Amt. (Rs.)	No. of Issues Reported	Amt. (Rs.)	No. of Issues Reported	Amt. (Rs.)	No. of Issues Reported	Amt. (Rs.)		
1	AJMER	14	1356496	0	0	2	10000	2	0	18	1366496
2	ALWAR	22	6213051	0	0	6	36000	4	0	32	6249051
3	BANSWARA	0	0	1	0	3	920000	1	0	5	920000
4	BARAN	14	4763271	0	0	57	1203465	1	0	72	5966736
5	BARMER	20	7160998	6	47556	42	485	13	0	81	7209039
6	BHARATPUR	1	10000	7	903000	10	5000	7	0	25	918000
7	BHILWARA	10	2453407	12	1036094	32	1417774	8	0	62	4907275
8	BIKANER	4	5910	4	0	0	0	2	8069	10	13979
9	BUNDI	0	0	6	62673	55	19500	13	0	74	82173
10	CHI11TTORGARH	52	11287964	37	6514985	116	11654400	34	0	239	29457349
11	CHURU	3	474232	1	0	4	0	1	0	9	474232
12	DAUSA	6	28335	11	155597	21	6000	3	0	41	189932
13	DHOLPUR	8	1137588	1	0	10	5792137	27	55000	46	6984725
14	DUNGARPUR	20	16238470	3	1050000	0	0	2	0	25	17288470
15	HANUMANGARH	6	30500	0	0	8	6000	1	7000	15	43500
16	JAIPUR	3	2695	3	32721	11	3000	5	0	22	38416
17	JAISALMER	29	6250253	41	612476	35	2213951	12	0	117	9076680
18	JALORE	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0
19	JHALAWAR	19	24983010	4	1000	52	109420	2	0	77	25093430
20	JHUNJ2HUNU	6	58480	5	190516	14	3500	6	0	31	252496
21	JODHPUR	44	7156878	1	4500	24	79318	14	6000	83	7246696
22	KARAULI	0	0	3	0	1	23	0	0	4	23
23	KOTA	8	1833447	2	57169	50	18809820	1	0	61	20700436
24	NAGAUR	13	3678318	1	0	16	43000	2	0	32	3721318
25	PALI	3	181340	0	0	2	8000	2	0	7	189340
26	PRATAPGARH	2	70000	9	65098	10	14200	4	0	25	149298
27	RAJSAMAND	13	2031929	5	210211	34	708973	7	0	59	2951113
28	SAWAIMADHOPUR	3	570875	1	2460	11	759908	22	0	37	1333243
29	SIKAR	3	16860	0	0	13	24678	2	0	18	41538
30	SIROHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SRIGANGA3NAGAR	3	18000	1	0	0	0	5	0	9	18000
32	TONK	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
33	UDAIPUR	5	147345	16	597950	4	5000	18	0	43	750295
	Total	**334**	**98159652**	**181**	**11544006**	**655**	**43853552**	**221**	**76069**	**1391**	**153633279**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- ✔ समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ मजदूरी से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ सामग्री से संबंधित अनियमित्ताऐं।

- ✔ जॉब कार्ड से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ राशि भुगतान संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ मस्टर रोल से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ मेट से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ मशीन द्वारा कार्य करवाये जाने से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्यत्र कार्य करवाये जाने से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ अनियमित भुगतान संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ सूचना बोर्ड का कार्यस्थल पर न होना संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ कार्यस्थल पर पानी, छाया व मेडिकल किट की अनुपलब्धता संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ महात्मा गांधी–नरेगा योजना के नाम पर अन्य योजना से कार्य करवाऐ जाने संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ राशि का दुरूपयोग करने से संबंधित अनियमित्ताऐं।
- ✔ माप–तोल संबंधित अनियमित्ताऐं

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–

सोसायटी द्वारा राजस्थान के सभी 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों की 11222 ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निर्मित मकानों का माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि में सोसायटी द्वारा जारी कलैण्डर अनुसार उक्त ग्राम पंचायतो में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। उक्त जिलो से गूगल लिंक पर प्राप्त सूचना अनुसार माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सम्पादित किया गया। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.सं	जिले का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				अर्केक्षित ग्राम पंचायतो की संख्या
			वर्ष2021–22	वर्ष2022–23	वर्ष 2023–24	कुल आवासोंकीसंख्या	
1	अजमेर	325	6345	0	0	6345	202
2	अलवर	556	2186	0	0	2186	258
3	बांसवाड़ा	417	28698	0	0	28698	203
4	बारां	229	13939	0	0	13939	211
5	बाड़मेर	688	39689	0	0	39689	160
6	भरतपुर	400	150	0	0	150	310
7	भीलवाड़ा	396	20267	0	0	20267	274
8	बीकानेर	366	16227	0	0	16227	280
9	बूंदी	182	10892	0	0	10892	170
10	चित्तौड़गढ़	299	8491	0	0	8491	127
11	चुरु	304	6858	0	0	6858	213
12	दौसा	281	1413	0	0	1413	243
13	धौलपुर	188	1938	0	0	1938	122
14	डूंगरपुर	353	23198	0	0	23198	20
15	हनुमानगढ़	267	8484	0	0	8484	181
16	जयपुर	584	2988	0	0	2988	239
17	जैसलमेर	205	15575	0	0	15575	72
18	जालौर	306	6538	0	0	6538	158
19	झालावाड	254	28908	0	0	28908	214

20	झुंझुनू	333	357	0	0	357	306
21	जोधपुर	619	16135	0	0	16135	456
22	करौली	240	7355	0	0	7355	217
23	कोटा	155	8392	0	0	8392	100
24	नागौर	497	9560	0	0	9560	210
25	पाली	338	7723	0	0	7723	146
26	प्रतापगढ़	234	12639	0	0	12639	116
27	राजसमंद	213	6700	0	0	6700	52
28	सवाई माधोपुर	225	12268	0	0	12268	134
29	सीकर	373	804	0	0	804	229
30	सिरोही	170	6775	0	0	6775	139
31	श्रीगंगानगर	344	17294	0	0	17294	325
32	टोंक	236	13165	0	0	13165	171
33	उदयपुर	645	31850	0	0	31850	263
	कुल योग	**11222**	**393801**	**0**	**0**	**393801**	**6521**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- आवास की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी
- महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
- वास्तव में मकान पूर्ण, किन्तु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं
- अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का आवास होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति)
- लाभार्थी को नरेगा से कार्य उसके जॉब कार्ड की बजाय लाभार्थी की सहमति के बिना अन्य किसी के जॉब कार्ड पर दिया गया।
- लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया।
- राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित आवास पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी)
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन।
- लाभार्थी द्वारा अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई।
- राजकीय भूमि पर आवास निर्मित।

(iii) 15वाँ वित्त आयोग :–

15वें वित्त आयोग में हुए कार्यो का सोसायटी द्वारा माह मई 2023 से दिसम्बर 2023 की अवधि में 15 वें वित्त आयोग की गाइड लाइन अनुसार 3733 ग्राम पंचायतो में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जा चुका है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

SR. No.	Name of Districts	Audit Conducted in Gram Panchayats during 2023-24
1	AJMER	246
2	ALWAR	285
3	BANSWARA	56
4	BARAN	150
5	BARMER	117
6	BHARATPUR	69

SR. No.	Name of Districts	Audit Conducted in Gram Panchayats during 2023-24
7	BHILWARA	139
8	BIKANER	126
9	BUNDI	76
10	CHITTORGARH	128
11	CHURU	96
12	DAUSA	61
13	DHOLPUR	116
14	DUNGARPUR	52
15	HANUMAGARH	222
16	JAIPUR	121
17	JAISALMER	65
18	JALORE	113
19	JHALAWAR	159
20	JHUNJHUNU	158
21	JODHPUR	246
22	KARAULI	25
23	KOTA	72
24	NAGAUR	121
25	PALI	63
26	PRATAPGARH	0
27	RAJSAMAND	3
28	SAWAI MADHOPUR	77
29	SIKAR	296
30	SIROHI	6
31	SRI GANGANAGAR	92
32	TONK	99
33	UDAIPUR	78
TOTAL		**3733**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड प्राप्त नहीं होना।
- कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाना जैसे पानी की टंकी में दरार मिलना इत्यादि।
- मौके पर काम नहीं मिलना जैसे सोखता गढ्ढा।
- स्वच्छता सम्बंधित गतिविधि के अंतर्गत रखवाये गये कचरा पात्रों का सही उपयोग नहीं होना।
- पूर्ण हुए कार्यों की CC प्राप्त नहीं होना।
- 15वें वित्त आयोग योजना में बंध अनुदान के तहत स्वच्छता सम्बंधित कार्य स्वीकृत होने पर भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव होना।
- कार्य के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय होना।

(iv) मिड–डे–मील योजना :–

सोसायटी द्वारा मिड–डे–मील योजना में विद्यालयों में पोषाहार का सामाजिक अंकेक्षण माह जुलाई 2023 में राजस्थान के 33 जिलो 589 विद्यालयों में सम्पादित किया गया है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं	जिले का नाम	अंकेक्षित विद्यालयों कि संख्या
1	अजमेर	45
2	अलवर	29
3	बांसवाड़ा	11
4	बारां	29
5	बाड़मेर	31
6	भरतपुर	08
7	भीलवाड़ा	37
8	बीकानेर	07
9	बूंदी	14
10	चित्तौड़गढ़	09
11	चुरू	20
12	दौसा	10
13	धौलपुर	27
14	डूंगरपुर	01
15	हनुमानगढ़	14
16	जयपुर	48
17	जैसलमेर	06
18	जालौर	30
19	झालावाड़	26
20	झुंझुनू	26
21	जोधपुर	34
22	करौली	18
23	कोटा	10
24	नागौर	22
25	पाली	08
26	प्रतापगढ़	03
27	राजसमंद	01
28	सवाईमाधोपुर	11
29	सीकर	26
30	सिरोही	10
31	श्रीगंगानगर	08
32	टोंक	10
33	उदयपुर	0
	योग	**589**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- स्कूल में मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका नही है।
- स्कूल में किचन कम स्टोर की उपलब्धता नही है।
- स्कूल में खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही है।
- स्कूल में कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
- स्कूल में खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
- स्कूल में बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
- स्कूल में पोषाहार का बच्चो को आपूर्ति से पूर्व जॉच की स्थिति नहीं है।
- स्कूल में आपातकालीन मेडिकल की सुविधा नही है।
- स्कूल में पोषाहार की मात्रा में कमी है।
- स्कूल में गुणवत्ता/पौष्टिकता की स्थिति में कमी है।

- स्कूल में पानी की उपलब्धता की स्थिति में कमी है।
- स्कूल में पोषाहार से संबंधित बर्तनों की स्थिति कमी है।
- स्कूल में पोषाहार की समय पर उपलब्धता नही है।
- स्कूल में जागरूकता अभियान नही होता है।
- स्कूल में साफ सफाई की कमी।
- स्कूल में मिड–डे–मील रजिस्टर की कमी।

(v) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास में राज्य के 17 जिलों में 26 परियोजनाओं के अन्तर्गत 2391 पूर्ण निर्मित BLC आवासों का सोसायटी द्वारा माह मार्च–2024 में दिनांक 07.03.2024 से 09.03.2024 (प्रथम चरण) एवं दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 (द्वितीय चरण) की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास के अन्तर्गत माह मार्च–2024 में अंकेक्षित आवासों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिले का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	सामाजिक अकेक्षण हेतु चयनित आवासों की संख्या	अंकेक्षित आवासों की संख्या	अंकेक्षण दलो की संख्या	गूगल लिंक पर अपलोड रिपोर्ट की संख्या
1.	अजमेर	ब्यावर	BLC N-289 BEAWAR REVISED	113	113	03	03
		सरवार	BLC N-193 SARWAR REVISED	87	87	02	02
2.	बारां	बारां	BLC-N 257 BARAN	67	67	02	02
		बारां	BLC N-612 BARAN REVISED	58	58	02	02
		छबड़ा	BLC-N 315 CHHABRA	89	89	02	02
		मांगरोल	BLC-N 123 MANGROLE	54	54	02	02
3.	बाड़मेर	बालोतरा	beneficiary led construction	83	83	02	02
4.	भरतपुर	नदबई	Enhancement 183 OF Houses In Nadbai	52	52	02	02
5.	बीकानेर	देशनोक	BLC-N 318 DESHNOK	103	103	03	03
6.	बूंदी	लाखेरी	BLC N-120 LAKHERI REVISED	54	54	02	02
7.	धौलपुर	राजाखेड़ा	BLC N 840 Revised DUs Rajakhera	253	253	07	07
8.	हनुमानगढ़	रावतसर	BLC-N 425 RAWATSAR	150	150	04	04
		सांगरिया	BLC-N 270 SANGARIA	58	58	02	02
9.	जालोर	सांचोर	BLC N-548 SANCHORE REVISED	150	150	04	04
10.	झालावाड़	भवानीमण्डी	BLC-N 140 BHAWANI MANDI	53	53	02	02
11.	झुंझुनू	नवलगढ़	BLC-N 315 NAWALGARH	125	125	03	03
12.	जोधपुर	पिपाड़ सिटी	BLC-N 169 PIPAR CITY	75	75	02	02
		पिपाड़ सिटी	BLC-E 122 PIPAR CITY	60	60	02	02
13.	कोटा	इटावा	BLC N 186 DUs	74	74	02	02
		कोटा	BLC NEW	172	172	04	04
		रामगंजमंडी	BLC-N 218 RAMGANJ MANDI	92	92	03	03
		सांगोद	BLC-N 167 SANGOD	70	70	02	02
14.	नागौर	नागौर	BLC E-255 NAGAUR REVISED	66	66	02	02
15.	पाली	पाली	BLC New Project for EWS329	91	91	02	02
16.	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	BLC-N-204-Sawaimadhopur	70	70	02	02
17.	टोंक	टोडारायसिंह	BLC New Project for 157	72	72	02	02
योग			**26**	**2391**	**2391**	**67**	**67**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- लाभार्थियों में जागरूकता नहीं है।
- मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता नही है।
- लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया है।
- सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गयी है।
- परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यों वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है।
- परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर की गई कार्यवाही नही की गई है।
- नगरीय निकायों के अधिकारियों/सी.एल.टी.सी. कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया जाता है।
- कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये किये गये उपाय नही किये गए है।
- आवास में बिजली कनेक्शन नही है।
- आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।

(vi) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :–

सोसायटी द्वारा राजस्थान के 33 जिलों की 3864 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक किया गया है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	जिले का नाम	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या (वर्ष 2023–24)
1	अजमेर	239
2	अलवर	165
3	बांसवाड़ा	50
4	बारां	170
5	बाड़मेर	64
6	भरतपुर	174
7	भीलवाड़ा	67
8	बीकानेर	164
9	बूंदी	156
10	चित्तौड़गढ़	67
11	चुरु	142
12	दौसा	118
13	धौलपुर	111
14	डूंगरपुर	32
15	हनुमानगढ़	143

16	जयपुर	93
17	जैसलमेर	9
18	जालौर	93
19	झालावाड	198
20	झुंझुनू	111
21	जोधपुर	140
22	करौली	113
23	कोटा	111
24	नागौर	178
25	पाली	95
26	प्रतापगढ़	62
27	राजसमंद	43
28	सवाई माधोपुर	57
29	सीकर	126
30	सिरोही	124
31	श्रीगंगानगर	229
32	टोंक	139
33	उदयपुर	81
TOTAL		**3864**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

1 शौचालय की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी।
2 वास्तव में शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।
3 अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का शौचालय होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति) प्रदान की गयी है।
4 शौचालय के मल निपटान हेतु पिट नही लगाया गया है।
5 शौचालय के मल निपटान हेतु पिट लगाया गया है किन्तु चालू नही है।
6 शौचालय में पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड़ आदि सुविधाओं का अभाव।
7 शौचालय में साफ–सफाई का अभाव।
8 लाभार्थी द्वारा शौचालय का अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है।
9 अपूर्ण शौचालय को पूर्ण दिखाया गया।
10 राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित शौचालय पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त
11 SBM (G) लोगो/सूचना बोर्ड नही लगा हुआ है।

10. लोकपाल की नियुक्तिः–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक एफ न. 111060/54/2020-RE-III (373836) दिनांक 23.12.2021 द्वारा जारी गाइड लाईन की अनुपालना में राज्य के सभी 33 जिलों में वर्ष 2023–24 में नरेगा लोकपाल कार्यरत रहे है।

लोकपाल का प्रशिक्षणः–

राज्य के सभी जिलो के लोकपालों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 04.09.2023 से 08.09.2023 तक इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के सौजन्य से आयोजित किया गया।

सोसायटी द्वारा वर्ष 2023–24 में 33 लोकपालों द्वारा वर्ष 2023–24 में 1489 शिकायतें प्राप्त की गई जिनमें से 1169 शिकायतों का निस्तारण करते हुए 524 अवार्ड जारी किये गये है जिसकी जिलेवार प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

PROGRESSIVE REPORT OF OMBUDSPERSON UP TO MARCH 2024

DISTRICT	No of complaints received upto MAR-2024	Total complaints disposed upto MAR-2024	Complaints pending upto MAR-2024	No of cases in which disciplinary action initiated			No of cases in which FIR lodged	Amount recommended for recovery (in Rs)	Amount recovered	Balance Amount recommended for recovery (in Rs)	Award copy	No. of inspection done of Nrega works
				Show cause notice	Suspension ordered	Termination /removal of officials ordered						
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ajmer	28	25	3	49	0	33	0	0	0	0	25	105
Alwar	57	23	34	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Banswara	26	25	1	24	0	0	0	3408	3408	0	4	142
Baran	39	21	18	12	0	0	0	0	0	0	5	94
Barmer	58	43	15	23	0	1	0	108196	10596	97600	28	66
Bharatpur	20	18	2	3	0	0	0	16835	16835	0	15	77
Bhilwara	148	144	4	43	0	0	0	900266	771224	129042	18	162
Bikaner	47	25	22	0	0	0	0	0	0	0	12	91
Bundi	44	38	6	77	0	6	0	74698	22287	52411	34	47
Chittorgarh	13	10	3	1	0	0	0	4550	0	4550	10	88
Churu	38	22	16	27	0	0	0	13515	0	13515	22	153
Dausa	29	23	6	0	0	8	0	142391	0	142391	16	65
Dholpur	22	21	1	3	0	0	0	0	0	0	0	108
Dungarpur	58	56	2	0	0	0	0	0	0	0	25	101
Hanumangarh	22	11	11	74	0	6	0	0	0	0	3	101
Jaipur	68	67	1	33	0	1	0	3685	3685	0	15	169
Jaisalmer	114	100	14	38	13	1	0	185000	0	185000	9	108
Jalore	37	25	12	0	0	0	0	0	0	0	11	180
Jhalawar	11	3	8	0	0	0	0	0	0	0	2	53
Jhunjhunu	70	68	2	33	0	0	0	26725	0	26725	36	123
Jodhpur	70	49	21	0	0	0	0	231983	26487	205496	49	27
Karauli	37	27	10	41	0	0	0	5711	0	5711	27	34
Kota	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	29
Nagaur	15	5	10	32	0	5	0	0	0	0	5	106
Pali	50	32	18	3	2	0	0	695008	75000	620008	23	92
Pratapgarh	57	39	18	0	0	0	0	1998328	1988578	9750	33	103
Rajsamand	135	127	8	41	0	0	0	62601	62601	0	2	103
Sawai Madhopur	9	7	2	11	0	4	1	425185	254250	170935	7	18
Sri Ganganagar	58	36	22	0	0	0	0	1278509	0	1278509	25	143
Sikar	25	19	6	0	0	0	0	0	0	0	12	116
Sirohi	23	21	2	0	0	0	0	0	0	0	16	44
Tonk	29	15	14	3	0	0	0	5000	0	5000	12	32
Udaipur	26	22	4	16	0	0	0	205826	105000	100826	19	107
TOTAL	1489	1169	320	58	15	65	1	6387420	3339951	3047469	524	3066

लोकपाल अपीलेट ऑथोरिटी :–

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 28.08.2017 के बिन्दु संख्या 13.4 में 3 सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी के गठन का प्रावधान महानरेगा लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु किया गया है। अपीलेट अथोरिटी के सदस्यों के चयन हेतु साक्षात्कार राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये जाने के उपरांत सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।

11. सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण का 03 वर्ष का तुलनात्मक विवरण :–

S.No.	Points	2022-2023	2023-2024
1	Total Gram Panchayats	11273	11251
2	Social Audit Completed	11249	11222
3	Reports uploaded	11216	11222
4	Percentage of reports uploaded	99.09%	100%
5	Total no. of Issues reported	474	1391
6	No. of SDS	Nil	1 Trained
7	No. of SRPs	Nil	6 Trained
8	No. of DRPs	Nil	59 Trained
9	No. of BRPs	1220 Trained	1220 Trained
10	No. of VRPs	12800 Trained	12800 Trained
11	Financial Misappropriation cased reported	57 nos. Amount 177.26 Lacs	333 nos. Amount 981.59 Lacs
12	Financial deviation cases reported	91 nos. Amount 28.10 Lacs	180 nos. Amount 115.44 Lacs
13	Progress Violation cases reported	55nos. Amount 03.33 Lacs	650 nos. Amount 438.53 Lacs
14	Grievance Redressal cases reported	262 nos. Amount 07.83 Lacs	219 nos. Amount 0.76 Lacs
15	No.of Lokpal appointed	15 nos.	33 nos. (05 days Training provided to Lokpal through NIRDPR, Hyderabad

❖ वर्ष 2021–22 में कोरोना महामारी के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस अवधि में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

12. लेखे एवं अंकेक्षण (Accounts & Audit) :–

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने हैं।

भारत सरकार के मनरेगा वार्षिक मास्टर प्रपत्र (Annual Master Circular) 2022–23 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.6 के अंतर्गत राज्य सरकार को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में प्रशासनिक व्यय मद में से 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी 0.5 प्रतिशत राशि या योजना के प्रावधानानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रावधान हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के वार्षिक अन्तिम लेखों का विवरण :–

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2024

Expenditure	**Amount (In Rs.)**		**Income**	**Amount (In Rs.)**	
Expenses			**Income**		**8,72,364**
Salary and Allowances to staff		1,87,92,140.00	Tender fees Recd.	1,43,700.00	
Salary to regular staff	1,22,75,118.00		Interest from Bank (SBI)	4,31,435.00	
Leave Encashment	4,47,513.00		Interest from Bank (HDFC)	2,92,589.00	
Additional Charge Allowance	27,096.00		Miscellaneous Income	87.00	
Remunerational Retlred Contract Staff	41,94,241.00		Interest from Tds Refund	4,553.00	
Travelling Allowance	2,58,657.00				
Additional Charge Allowance	12,430.00				
Salary arrear	223,105.00				
DA Arrear of Regular Staff	2,03,814.00				
Pension Contrlbution	11,50,166.00				
Concurrent Social Audit Expenses (CSA)		8,46,32,396.00	**Deficit being Expenditure over Income**		13,06,21,933.96
Regular Social Audit Expenses	8,46,32,396.00		(Transferred to MGNREGA(Fund)	11,79,65,400.96	
			(Transferred to PMAYG URBAN (Fund)	5,84,162.00	
Contractual Expenses		33,77,285.00	Transferred to MID DAY MEAL (Fund)	12,28,650.00	

For Machine With Man	6,52,902.00		(Transferred to SBM (Fund)	86,12,796.00	
For Home Guard and Assistants	4,08,543.00		(Transferred to SRP/DRP/BRP TRAINING Fund)	22,30,925.00	
For Vehicle Hiring	10,80,839.00				
Constractual Staff Salary (SRP)	12,35,001.00				
Other Expenses (Other than salary and Allowances)		1,17,43,354.96			
Advertisement Expenses	3,34,572.00				
Professional Fee/Audit	5,11,999.00				
Editing and Photogarphy Expenses	9,534.00				
Printing and Stationery Expenses	3,97,417.00				
Bank Charges	5,276.96				
Refreshment Expenses	23,307.00				
Training Allowance (BRP Nrega)	8,93,543.00				
Miscellaneous office Expenses	15,987.00				
Postage and Stamp Expenses	3,960.00				
Hotel Exp.	12,172.00				
Legal Exp.	391,530.00				
Mobile Exp.	38,415.00				
Telephone Expenses	21,725.00				
Interest to MORD	33,18,127.00				
Website & Software Exp.	13,35,433.00				
DRP Payment	44,30,357.00				
Exp. for other Scheme		1,29,49,122.00			
MDM Social Audit Exp.	12,28,650.00				
Brp/Vrp Training Exp (PMAY)	5,84,162.00				
Social audit Under SBM	89,05,385.00				
SRP and DRP/BRP Training Exp.	22,30,925.00				
TOTAL		**13,14,94,297.96**			**13,14,94,297.96**

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

LIABILITIES	Amount (In Rs.)		ASSETS	Amount (In Rs.)	
MGNREGA GOI FUND		98,81,939.55	Fixed Assets		5,22,892.00
OPENING BALANCE 1.4.2023	43,20,340.51		LAPTOP	98,943.00	
Add: Fund received during the year	12,35,27,000.00		FURNITURE	2,26,995.00	
Less: Utilised Amount This Year	11,79,65,400.96		PRINTER	1,76,954.00	
			TALLY SOFTWARE	20,000.00	
RUDSICO PMAY URBAN FUND		5,74,238.00			
OPENING BALANCE 1.4.2023	6,20,550.00				
Add: Fund received during the year	5,37,850.00				
Less: Utilised Amount This year	5,84,162.00				
MID DAY MEAL FUND		8,78,350.00			
OPENING BALANCE 1.4.2023	21,07,000.00				
Less: Utilised Amount This year	12,28,650.00				
			Investment		1,10,988.00
			FDR-HDFC(SWEEP)	1,10,988.00	
SBM GRAMEEN	1,35,06,250.00	48,93,454.00			
Less: Utilised Amount This year	86,12,796.00				
			Current Assets		2,58,27,330.43
SRP/DRP/BRP TRAINING FUND	29,81,509.00	7,50,584.00	Security Deposit to RRSUSL	10,000.00	
Less: Utilised Amount This year	22,30,925.00		Bank balance	2,57,57,245.43	
			Advances	60,085.00	
MOSJE (Ministry of Social Justice & Empowerment)		7,57,837.00			

15th FC (Zila Parisad Bikaner)		5,70,000.00			
Temporary Advance from MGNREGA, GOR		36,67,697.00			
Temporary Advance from SBM		6,33,000.00			
Current Liabilities		38,54,110.88			
Azadi Programe	918.00				
Mahavali Media	691.00				
Sundry Creditors	31,32,756.28				
Sundry Liability (Unidentified)	5,58,198.60				
Performance Guarantee and Security Deposit Payable	1,17,153.00				
Duties& Taxes	44,394.00				
TOTAL		**2,64,61,210.43**			**2,64,61,210.43**

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।

  आवश्यक होने पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना अनुज्ञेय है। वर्तमान परिपेक्ष्य में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही प्रभारित किया जा रहा है।

- सोसायटी (SSAAT) को मनरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए SNA खाता सं 38872762396 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में संधारित है।

- सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय के निर्णय सं. 2.9 में अनुमोदन अनुसार सोसायटी के लेखों का नियंत्रक महालेखाकार (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अंकेक्षण कराये जाने के निर्देश हैं। वर्ष 2022–23 के लेखो का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जा चुका है।

- जिला स्तर पर जिला लोकपाल तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय सलाहकार को सामाजिक अंकेक्षण ईकाई (SAU) के कर्मचारियों तथा कार्यप्रणाली के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ये नामित शिकायत निवारण अधिकारी सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के नियमों तथा विनियमों के दायरे में मामले का निर्णय करेंगे।

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2022–23 के बिन्दु संख्या 10.1.9 (ii)(d) के अन्तर्गत भी सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत वसूली की गई राशि को State Employment Gurantee Fund Account के तहत जमा कराये जाने का प्रावधान है।

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2023–24 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

परिशिष्ट-1

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

49/2019

दिनांक 26 जून, 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11(8) ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके/2015/दिनांक 19.06.2019 पर विचार-विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

डी.49/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक : 27 जून, 2019

परिशिष्ट-2

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/Registration Certificate

क्रमांक S.No. : COOP/2019/JAIPUR/104900 दिनांक/ Date 20-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज एक्ट 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र

Printed by Diamond Printing Press ✆ 0141-4043938